कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

क्रमांक: E/475557/1/1123006/2026 दिनांक: 20.8.2026

## आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अनुक्रम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) चरण आयोजित किए जाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक E/475557/1/1123006/2026, दिनांक 9.8.2026 के माध्यम से उक्त प्रक्रिया दिनांक 10 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त के अनुक्रम में विद्यार्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु अतिरिक्त CLC चरण की अवधि में वृद्धि करते हुए अब उक्त प्रक्रिया दिनांक 21 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी।

उक्त प्रक्रिया के संबंध में पूर्व आदेश में उल्लेखित अन्य समस्त निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अतः समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक **21 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक** उपलब्ध रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

31 अगस्त 2026 को निर्धारित समय के पश्चात् प्रवेश मान्य नहीं होगा।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ0 तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म0प्र0

प्रतिलिपि-

1-निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
2-निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
3-कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश
4-समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.
5-प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय म.प्र.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म0प्र0